## राजस्थान सरकार
## निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92/अलेसे–III/ 4752-4757 दिनांकः– 18/7/14

**कार्यालय आदेश**

श्री गिरीश कुमार शर्मा, ( 204/92 ) की कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 13.03.1995 है। इनकी सेवायें नियमित रही हैं। अतः श्री शर्मा को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008, आदेश संख्या एफ 11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I/ 2008 दिनांकः– 6.10.2008 एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.11(7) एफ.डी./रूल्स/ 2008–I/ 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण तिथि दिनांक 13.03.1995 से 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 13.03.2013 से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे 4200/– में स्वीकृत किया जाता है।

श्री गिरीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प01 (20) वित्त/ ग्रुप–2/ 92 दिनांक 23.4.1994 में दी हुई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1) (डीओपी)/ क–2/95 दिनांक 20.6.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत किया जाता हैं।

श्री गिरीश कुमार शर्मा के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत नौ वर्षो में से सात वर्ष की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री गिरीश कुमार शर्मा का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पेरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है, एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्व कोई विभागीय / फौजदारी जाचं प्रकरण लम्बित नहीं है एवं पिछले वर्षो में निरन्तर वेतन वृद्वियां प्राप्त हो रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92/ अलेसे–III/ 4752-4757 दिनांकः– 18/7/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. भूप्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
2. श्री गिरीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय भूप्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया ।
4. उपनिदेशक(एसीपी) विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल ।

(डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)

acp.doc